

50

2018/00047

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - राजस्व लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, कैम्प कोर्ट, ग्राम पंचायत, ~~सहनीवाला~~ तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

मधुदास डक मंगी लाल बनाग सरकार



कि.मु.कदमा - 88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

नम्बर मुकदमा 85 / 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

29/5/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत, ग्राम पंचायत, ~~सहनीवाला~~ पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर गुरतीव की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम ~~सहनीवाला~~ के खाता संख्या 91 पर उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जन्मि गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी का राशन कार्ड/पहचान पत्र/आधार कार्ड में उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जन्मि ~~मधुदास~~ दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों में भिन्नता के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत दुरुस्ती करवाई जावे। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, लूनकरनसर से रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जमाबंदी व दस्तावेजात में भिन्नता लिपिकीय भूलवश: होनी नहीं पाई जाती है। प्रार्थी वर्तमान दस्तावेजात के आधार पर दुरुस्ती करवाना चाहता है, जिसे दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सलंगन दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत दुरुस्ती का नहीं होकर जरिये धोषणा रिकार्ड दुरुस्ती का बनता है। अतः प्रकरण धारा 88 आरटीए के तहत दर्ज किया जावे। पैरोकारराज की हैसियत से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर परिवादी के नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जन्मि ~~मधुदास~~ के स्थान पर उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जन्मि ~~मधुदास डक मंगी लाल~~ परिवर्तन की धोषणा की जाती है। तहसीलदार, लूनकरनसर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/5/18 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैराल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तरतीव तकगील संबंधित न्यायालय को प्रेषित हो।

राजस्व
राजस्व लोक
अदालत

मदमा
राजस्व लोक
अदालत

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर
अधिकारी